# राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।

**अपील संख्या 1506 /2014..........................................जिला.......जयपुर..................................................................................**

**उनवान–मैसर्स टाटा मोटर्स लि., आम्रपाली रोड, वैशाली नगर, जयपुर बनाम् सहायक आयुक्त, विशेष वृत्त–राजस्थान, जयपुर।**

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| **16.12.2014** | **खण्डपीठ**<br>**श्री राकेश श्रीवास्तव, अध्यक्ष**<br>**श्री मदन लाल, सदस्य**<br>अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से उक्त अपील अपीलीय प्राधिकारी–द्वितीय, वाणिज्यिक कर, जयपुर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा पारित अपीलीय आदेश दिनांक 19.08.2014, जो राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 38(4) के तहत् पारित किया गया हैं, के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है तथा जिसमें सहायक आयुक्त, विशेष वृत्त–राजस्थान, जयपुर (जिसे आगे "निर्धारण अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा अधिनियम की धारा 26 सपठित केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 की धारा 9 के तहत् निर्धारण वर्ष **2010–11 के लिये पारित निर्धारण आदेश दिनांक 20.06.2014** के जरिये कायम की गयी मांग राशियों के संबंध में प्रस्तुत रोक आवेदन पत्र को अपीलीय अधिकारी द्वारा आंशिक रूप से स्वीकार किये जाने को विवादित कर, रू.**25,83,829/–** की वसूली पर रोक लगाई जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया ।<br>अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से अभिभाषक श्री विवके सिंघल एवं विभाग की ओर से उप–राजकीय अधिवक्ता श्री रामकरण सिंह बहस हेतु दिनांक 15.12.2014 को उपस्थित हुये।<br>अपीलार्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक ने उपस्थित होकर कथन किया कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा वसूली योग्य राशि राजकोष में जमा करवा दी गयी है । अतः प्रस्तुत रोक आवेदन पत्र को विदड्रा करने हेतु निवेदन किया गया। विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक ने इस संबंध में रोक आवेदन पत्र को विदड्रा करने के संबंध में किसी प्रकार की आपत्ति प्रकट नहीं की गयी। फलस्वरूप, अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत रोक आवेदन पत्र विदड्रा करने के कारण, प्रस्तुत रोक आवेदन पत्र "सारहीन" हो जाने के कारण खारिज किया जाता है।<br>आदेश प्रसारित किया गया।<br>17.12.14<br>**(मदन लाल)** सदस्य<br>**( राकेश श्रीवास्तव )** अध्यक्ष | |